रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 1987/माघ 29, 1908
No. 35] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 18, 1987/MAGHA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 6 ई टी सी (पीएन)/87

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1987

विषय:— विदेशी क्रेता द्वारा सप्लाई की गई चांदी के मद्दे चांदी के आभूषण और चांदी की बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए इस स्कीम के अधीन और चांदी के आभूषण और चांदी की बनी वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन एवं प्रतिपूर्ति स्कीम के अधीन चांदी के आभूषण और चांदी की बनी वस्तुओं का निर्यात ।

फाईल सं. 21/31/86/ई 1 :—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 27-ई टी सी (पी एन)/86 दिनांक 8 दिसम्बर, 1986 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. आंशिक संशोधन करते हुए वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम के अधीन चांदी के आभूषण और चांदी की बनी वस्तुओं का निर्यात सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीधे ही अनुमेय किया जाए और निर्यातकों को माल के लदान और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मूल्य निर्धारण से पहले पृष्ठांकन के लिए लाईसेंसिंग प्राधिकारियो के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आयात निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड–1) के परिशिष्ट–22 के अनुबन्ध 6 और 7 में निहित गाइडलाइन्स के अधीन यह निर्यात प्रभावित होगा।

3. तदनुसार, आयात एवं निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-2) के पृष्ठ–26 पर नीति विवरण में क्रम सं 77(3)4 में दिखाई गई प्रविष्टि के नीचे बताए गए के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

1	2	3
77(3)4	आयात एवं निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड–1) के परिशिष्ट–22 के अनुबन्ध 6 और 7 में उल्लिखित चांदी के आभूषण और चांदी की बनी वस्तुएं।	निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस–3 के अधीन यथा व्यवस्थित अनुमेय होगा।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 6—ETC(PN)/87

New Delhi, the 18th February, 1987

Subject: Export of Silver Jewellery and Silver Articles under the Scheme for export of Silver Jewellery and Silver Articles against Silver supplied by the foreign buyer and under the Export Promotion and Replenishment Schemo for Silver Jewellery and Silver Articles.

File No. 21/31/86/E-I:—Attention is invited to Public Notice No. 27—ETC (PN)/86 dated 8th December, 1986, on the above subject.

2 In partial modification, it has beendecidod in consultation with Ministry of Commerce that export of silver jewellery and articles under the Export Promotion and Replenishment Schemo may be allowed directly by the Customs authorities

and that exporters will not be required to go to the Licensing Authorities for an endorsement prior to the appraisal by Customs authorities and shipment of goods. The export will be subject to the guidelines contained in Annexures VI and VII of Appendix 22 of Import & Export Policy 1985—88 (Volume I).

3. Accordingly, the entry appearing at serial number 77(iii) IV in the Policy Statement at Page 26 of Import & Export Policy, 1985—88 (Vol. II) shall be substituted as indicated below:—

1.	2.	3.
77(iii)IV	Silver jewellery and Silver articles mentioned in Annexure VI and VII of Appendix 22 of Import and Export Policy, 1985—88 .Vol. I).	Export will be allowed as provided under OGL-3.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987